



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026

आषाढ़ 19, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-9

संख्या 524/नौ-9-2026-ई-2043100

लखनऊ, 10 जुलाई, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०-44

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1959), की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 को संशोधन करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप पूर्वोक्त अधिनियम, सन् 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किए जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (पंचम संशोधन) संक्षिप्त नाम, नियमावली, 2026 कही जाएगी। लागू होना और प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों में लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 4क का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4क के उपनियम (2) की अनुसूची में,—
(एक) नीचे स्तम्भ—एक में दी गयी श्रेणी संख्या-4 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ—दो में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

स्तम्भ—एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ—दो एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान	4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है, सूक्ष्म, लघु औद्योगिक इकाइयां (औद्योगिक विकास विभाग की परिभाषानुसार)	उपनियम (1) के अधीन यथा नियत के समान

(दो) नीचे स्तम्भ—एक में दी गयी श्रेणी संख्या-8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ—दो में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

स्तम्भ—एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ—दो एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
8	औद्योगिक इकाइयां, स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाइयां, जो उ०प्र० पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हों, सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना	8	मध्यम एवं वृहद् उद्योग (औद्योगिक विकास विभाग की परिभाषानुसार) स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाइयां, जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हों, सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.-524/IX-9-2026-E-2043100 dated July 10, 2026.

No. 524/IX-9-2026-E-2043100

Dated Lucknow, July 10, 2026

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, (Act no. 2 of 1959), read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) with a view to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, are hereby published as required by sub-section (2) of Section 540 of the aforesaid Act of 1959 for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rules shall be sent in writing addressed to Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-9, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.

Only those objections and suggestions shall be considered as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

DRAFT RULES
THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX)
(FIFTH AMENDMENT) RULES, 2026

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fifth Amendment) Rules, 2026. Short Title, application and commencement

(2) They shall be applicable to all Municipal Corporations of the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their final publication in the Official *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, in Schedule to sub-rule (2) of rule 4A,- Amendment of rule 4A

(i) for the existing entries at category no. 4 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:—

<u>COLUMN-I</u> (Existing entry)			<u>COLUMN-II</u> (Entry as hereby substituted)		
Category	Detail of property	Rate of monthly rent of non-residential building	Category	Detail of property.	Rate of monthly rent of non-residential building
4	Hostels, educational institutes which are not covered under clause (c) of Section 177 of the Act.	Same as fixed under sub-rule (1)	4	Hostels and educational institutes which are not covered under clause (c) of Section 177 of the Act. micro, small industrial units (in accordance with the definition of the Industrial Development Department)	Same as fixed under sub-rule (1)

(ii) for the existing entries at category no. 8 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:—

<u>COLUMN-I</u> (Existing entry)			<u>COLUMN-II</u> (Entry as hereby substituted)		
Category	Detail of property	Rate of monthly rent of non-residential building	Category	Detail of property.	Rate of monthly rent of non-residential building
8	Industrial units, star category hotels and resorts and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, Offices of Government, Semi-Government and Public Undertaking .	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)	8	Medium and heavy industries (in accordance with the definition of the Industrial Development Department), star category hotels and resorts and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, Offices of Government, Semi-Government and Public Undertaking.	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 419 राजपत्र-2026-(898)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० नगर विकास-2026-(899)-100 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।